भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 582

उत्तर देने की तारीख : 23.07.2025

अल्पसंख्यक कल्याण योजनाएँ

582. श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाली प्रमुख चुनौतियों का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने ऐसी योजनाओं के कार्यान्वयन में समन्वय के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार के साथ कोई समीक्षा बैठक की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक समुदायों को डिजिटल साक्षरता से जोड़ने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम या अभियान चलाया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख): सरकार अल्पसंख्यकों, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर और समाज के वंचित वर्गों सहित हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए निम्नलिखित योजनाएं लागू करती है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, महाराष्ट्र सहित देश भर में छह (6) केंद्रीय अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई, जैन, पारसी और सिख के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए विशेष रूप से विभिन्न योजनाएँ लागू करता है। ये योजनाएं इस प्रकार हैं:

I. पीएमजेवीके योजना

"प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम" (PMJVK), एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जो स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला केंद्रित परियोजनाएं, पेयजल और आपूर्ति, स्वच्छता और खेल जैसे क्षेत्रों में देश के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में सामुदायिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। इस योजना में उस क्षेत्र विशेष के अल्पसंख्यक समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देना भी शामिल है।

PMJVK के अंतर्गत अनुमोदित परियोजना इकाइयों का निष्पादन, संचालन और देखरेख संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, जैसा भी लागू हो, की पूरी जिम्मेदारी है।

मंत्रालय, PMJVK परियोजनाओं की वास्तविक और वित्तीय प्रगति का आकलन करने के लिए महाराष्ट्र सरकार सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठकें आयोजित करता है। इसके अतिरिक्त, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) और PMJVK दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करने के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।

II. छात्रवृत्ति योजनाएँ

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए तीन छात्रवृत्ति योजनाएं अर्थात् मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजनाएं कार्यान्वित करता है।

हालांकि योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान महाराष्ट्र राज्य के लिए ऐसी कोई चुनौती सामने नहीं आई थी, लेकिन सामान्य चुनौतियों में निम्नलिखित शामिल हैं (i) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अलग-अलग तारीखों पर शैक्षणिक सत्र शुरू होने के कारण छात्रवृत्ति के वितरण के लिए समय-सारिणी का पालन करने में कठिनाई; (ii) ऑनलाइन आवेदनों में, आवेदकों द्वारा बैंक खाता संख्या, आधार संख्या, नाम की वर्तनी आदि की गलत प्रविष्टि के परिणामस्वरूप संवितरण के समय बैंकों द्वारा भुगतान को अस्वीकार कर दिया जाता है; (iii) आवेदन और छात्रवृत्ति आवेदनों के सत्यापन की लंबी शुरूआती प्रक्रिया के कारण, भुगतान केवल तीसरी तिमाही में शुरू होता है और चौथी तिमाही में पूरा होता है; (iv) पूर्वोत्तर (NE) राज्यों से पर्याप्त प्रस्तावों (समुदाय-वार संतुलन बनाए रखते हुए) की गैर-प्राप्ति और (v) राज्यों द्वारा हर साल पूर्ण उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में देरी या गैर-प्रस्तुति।

III. जियो पारसी योजना

जियो पारसी योजना भारत में पारसी समुदाय की जनसंख्या में गिरावट को रोकने के लिए एक अनूठी केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह योजना वर्ष 2013-14 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य वैज्ञानिक प्रोटोकॉल और संरचित हस्तक्षेपों को अपनाकर पारसी जनसंख्या में गिरावट की प्रवृत्ति को रोकना, उनकी जनसंख्या को स्थिर करना और भारत में पारसियों की जनसंख्या में वृद्धि करना है।

यह योजना चयनित पारसी पंचायतों/अंजुमनों/अगियारियों की सहायता से राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार आवेदकों का सत्यापन करती है और सभी लाभार्थियों का बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण प्रतिवर्ष करवाती है। भुगतान के लिए केवल प्रमाणित लाभार्थियों को ही अनुमति दी जाती है। सामुदायिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (HoC) घटकों के लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) मोड के अंतर्गत जारी की जाती है।

जियो पारसी योजना के उपयुक्त कार्यान्वयन के लिए, सामुदायिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य घटकों के अंतर्गत आवेदकों के सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार को 9 जुलाई, 2025 को एक अ.शा. पत्र जारी किया गया है ताकि पात्र लाभार्थियों को बिना किसी देरी के वित्तीय सहायता दी जा सके। सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सचिव, अल्पसंख्यक कार्य की अध्यक्षता में 11 जुलाई 2025 को मुंबई में महाराष्ट्र राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई है।

इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र सरकार से राज्य में पारसी समुदाय के बीच आउटरीच गतिविधियां आयोजित करने का भी अनुरोध किया गया है ताकि इस योजना के बारे में अधिक जागरूकता और भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

IV. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, एनएमडीएफसी द्वारा कार्यान्वित योजनाएं

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) देश भर में स्व-रोज़गार आय सृजन उपक्रमों के लिए रियायती ऋण प्रदान करके अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के "पिछड़े वर्गों" के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु अपनी योजनाओं का कार्यान्वयन करता है। NMDFC की योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, पंजाब ग्रामीण बैंक और केनरा बैंक द्वारा नामित राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (SCA) के माध्यम से किया जाता है।

महाराष्ट्र राज्य में, मौलाना आज़ाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास निगम (MAAAVN), NMDFC की राज्य चैनलाइज़िंग एजेंसी (SCA) है। महाराष्ट्र राज्य में अल्पसंख्यक कल्याण योजना के कार्यान्वयन में MAAAVN को किसी बड़ी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ रहा है।

NMDFC की एक टीम ने जून, 2025 में मुंबई का दौरा किया और महाराष्ट्र सरकार के अल्पसंख्यक विकास विभाग के सचिव से मुलाकात की, इस दौरान उन्होंने जमीनी स्तर पर वसूली में सुधार लाने और लाभार्थियों/ऋण प्राप्तकर्ताओं के ऋण रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने का अनुरोध किया। NMDFC की टीम ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अनुदान सहायता योजना के अंतर्गत ऋण वितरण अवसंरचना में सुधार के लिए MAAAVN को सहयोग देने का भी आश्वासन दिया।

उपरोक्त के अलावा, इस मंत्रालय ने सीखो और कमाओ, उस्ताद और नई मंजिल जैसी विभिन्न कौशल विकास योजनाएं भी लागू की हैं। इन योजनाओं को केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के रूप में कार्यान्वित किया गया था और इसलिए, राज्यों को कोई वास्तविक/वित्तीय लक्ष्य आवंटित नहीं किए गए थे।

(ग) और (घ): मंत्रालय ने PMJVK योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य को कुल 40.08 करोड़ रुपए की लागत से 1,520 स्मार्ट क्लास रूम स्वीकृत किए हैं। स्वीकृत इकाइयों का जिलावार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

*****

अनुबंध

"अल्पसंख्यक कल्याण योजनाएं" विषय के संबंध में दिनांक 23.07.2025 को श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे द्वारा पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या †582 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

महाराष्ट्र में स्वीकृत इकाइयों का जिलावार विवरण निम्नानुसार है:

जिले का नाम	अनुमोदन वर्ष	अनुमोदित इकाइयों की संख्या	कुल स्वीकृत लागत (लाख रुपए में)	स्वीकृत केंद्रीय हिस्सा (लाख रुपए में)	कुल जारी धनराशि (लाख रुपए में)
अहमदनगर	2020-21	8	20.32	12.19	3.66
अकोला	2020-21	320	812.80	487.68	146.30
अमरावती	2020-21	160	406.40	243.84	73.15
औरंगाबाद	2020-21	134	340.36	204.22	61.26
बीड	2020-21	3	58.32	34.99	17.50
बुलढाणा	2015-16	35	151.80	91.08	114.84
	2020-21	434	1136.16	681.70	209.17
चंद्रपुर	2020-21	32	81.28	48.77	14.63
धुले	2020-21	8	20.32	12.19	3.66
हिंगोली	2020-21	106	269.24	161.54	48.46
जलगांव	2020-21	10	25.40	15.24	4.57
जलना	2020-21	14	35.56	21.34	6.40
मुंबई शहर	2020-21	4	10.16	6.10	1.83
उस्मानाबाद	2020-21	6	15.24	9.14	2.74
परभनी	2020-21	124	314.96	188.98	56.69
रत्नागिरि	2020-21	12	30.48	18.29	5.49
सांगली	2020-21	32	81.28	48.77	14.63
वाशिम	2020-21	58	147.32	88.39	26.52
यवतमाल	2020-21	20	50.80	30.48	9.14
कुल योग		**1520**	**4008.20**	**2404.92**	**820.66**

*****